

FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 154 Cr.P.C.)

प्रथम सूचना रिपोर्ट
(धारा 154 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत)

1. District (जिला): Anti Corruption Bureau, Haryana P.S. (थाना): ACB, Karnal Year (वर्ष): 2019

FIR No. (प्र.सू.रि. सं.): 0006 Date and Time of FIR (प्र.सू.रि. की दिनांक और समय):
18/02/2019 15:27 hrs

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	7

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):

1 Day (दिन): Monday Date from (दिनांक से): 08/10/2018 Date To (दिनांक तक): 08/10/2018
Time Period (समय अवधि): Pahar 6 Time From (समय से): 16:00 hrs Time To (समय तक): 16:30 hrs

(b) Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई): Date (दिनांक): 18/02/2019 Time (समय): 15:09 hrs

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ): Entry No. (प्रविष्टि सं.): 015 Date and Time (दिनांक और समय): 18/02/2019 15:09 hrs

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): Written

5. Place of Occurrence (घटनास्थल):

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा): NORTH-EAST, Beat No. (बीट सं.): 15 Km(s)

(b) Address (पता): PS KUNJPURA, DISTT KARNAL

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then Name of P.S. (यदि थाना सीमा के बाहर है तो थाना का नाम):

District (State) (जिला (राज्य)):

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):

(a) Name (नाम): Dharamvir

(b) Father's/Husband's Name (पिता/पति का नाम):

(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष): 03/05/1966 (d) Nationality (राष्ट्रियता): INDIA

(e) UID No. (यूआईडी सं.):

(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):

Date of Issue (जारी करने की दिनांक):

Place of Issue (जारी करने का स्थान):

- (g) ID Details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN) (पहचान विवरण (राशन कार्ड, मतदाता कार्ड, पासपोर्ट, यूआईडी सं., ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड))

S. No. (क्र.सं.)	ID Type (पहचान पत्र का प्रकार)	ID Number (पहचान संख्या)
------------------	--------------------------------	--------------------------

- (h) Occupation (व्यवसाय):

- (i) Address
(पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	Present Address	Hissar, AGROHA, HISAR, HARYANA, INDIA
2	Permanent Address	Hissar, AGROHA, HISAR, HARYANA, INDIA

- (j) Phone number (दूरभाष सं.):

Mobile (मोबाइल सं.):

7. Details of known / suspected / unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):

S. No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address(वर्तमान पता)
1	ASI सलिनद्र कुमार			1. थाना कुंजपुरा, KUNJPURA, KARNAL, HARYANA, INDIA

8. Reasons for delay in reporting by the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):

S. No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य (रु में))

10. Total value of property (In Rs/-) (सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु में)):

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण सं., यदि कोई हो):

S. No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.डी.प्रकरण सं.)
------------------	--------------------------------

12. First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):

सेवा मे, प्रबन्धक अफसर, थाना राज्य चौकसी ब्यूरो, करनाल मण्डल, करनाल । निवेदन है कि दिनांक 17/10/2018 को एक दरखास्त शेर सिंह पुत्र समे सिहँ निवासी नेवल जिला करनाल द्वारा थाना राज्य चौकसी ब्यूरो, करनाल मे बर खिलाफ ASI सलिनद्र कुमार थाना कुंजपुरा जिला करनाल प्राप्त हुई थी । कार्यालय महानिदेशक, राज्य चौकसी ब्यूरो, हरियाणा, पंचकुला के पत्र क्रमांक 1788/आई-5/ रा0चौ0ब्यू0 (ह0) पंचकुला दिनांक 29/01/2019 अनुसार आदेश प्राप्त हुये है कि आरोपी ASI सलिनद्र कुमार के खिलाफ धारा 17-ए भ्रष्टाचार अधिनियम 1988 की अनुमति के बिना मुकदमा दर्ज किया जाये । जो सिकायत मे दस्तावेज मन निरीक्षक को इस कार्यालय के डायरी नम्बर 122 दिनांक 30/01/2019

के अनुसार आगामी कार्यवाही हेतु प्राप्त हुई है। शिकायत का मजबुन जैल है। “सेवा मे माननीय पुलिस अधीक्षक राज्य विजिलैन्स चौकसी ब्यूरो हरियाणा करनाल विषय थाना कुंजपुरा के ASI सलिन्द्र कुमार द्वारा मुकदमा नं० 180/2018 के बाबत 40,000/- रुपये कि रिश्त मांगने बारे शिकायत। श्रीमान जी, निवेदन यह है कि दिनांक 04/04/2018 को समय करिब 8-30 बजे रात नेवल नहर पुल के पास गांव नेवल के लाडी पुत्र जागीर सिंह, दर्शन सिंह पुत्र जागीर सिंह व अन्य मेरे भतिजे सुशील कुमार पुत्र लिल्लू राम के साथ मारपीट कि व मेरे भतिजे का गम्भीर चौटे मारी जब हम बिच बचाव मे आये तो हमारे को भी इन्होने गम्भीर चौटे मारी। फिर हमने एक दरखास्त दिनांक 05/04/2018 को कुंजपुरा मे दी थी। जिस बाबत थाना कुंजपुरा पुलिस ने हम दोनो पक्षो कि 107/150 कि कार्यवाही कर दी थी। इसके बाद करिब 3 महिने के बाद राजनितीक दबाव व कुजपुरा पुलिस कि मिनीभगत से हमारे विरुद इसी सम्बन्ध मे दिनांक 13/06/2018 को मुकदमा नम्बर 180 दर्ज कर दिया। फिर जाँच अधिकारी सलिन्द्र हमे बार-बार थाने बुलाकर डराता रहा की तुम पर चोरी करने कि धारा लगी है तुम्हारी जमानत तक नही होगी। तुम मेरे को कोपरेट करो व तुम्हारे ऊपर चोरी कि धारा लगी है उसे एस० एच० ओ० राजकुमार रंगा कि सेवा करके हटवा दुंगा व हमारे से इस सम्बन्ध मे बतौर 15,000/- रुपये रिश्त ले चुका है जब मेरे से ए०एस०आई० सलिन्द्र ने रिश्त ली तो मेरे साथ मेरा भतीजा नरेश कुमार पुत्र कर्म सिंह भी मेरे साथ मौजूद था अब यह हमे अगस्त महिने फिर से परेशान कर रहा है या तो 40,000/- रुपये रिश्त दे दो नही तो मै तुम्हारी औरते वा लडकियां उनको घर से उठवा कर चालान कर दुंगा। जब कि डी० एस० पी० इन्द्री के सामने भी यह बात सलिन्द्र ए०एस०आई० कि हाजरी मे साबित हो गई थी कि हमारे घर कि औरते ही इस झगडे मे सामिल नही है। उनका नाम इस एफ० आई० आर० मे झुठा लिखवा गया है। अब दिनांक 08/10/2018 को सलिन्द्र ए०एस०आई० हमारे घर फिर से दोबारा आया कि या तो मेरे पास आकर थाना मे बातचीत करो नही तुम्हारी औरतो, लडकियो वा तुम पर चोरी की धारा लगा कर चालान भेज रहा हूँ। फिर हम उसी दिन करिब 4-4:30 बजे शाम को मै व मेरा भतीजा नरेश कुमार पुत्र कर्म सिंह, विरेन्द्र पुत्र समय सिंह सलिन्द्र ए०एस०आई० से मिले। इसने पहले तो हमे तो डराया धमकाया और 40,000/- रुपये रिश्त कि मांग की और इसके बाद हमे धमकाने लगा कि मै चाहू तो तुमसे हथियार भी बरामद कर सकता हूँ व चोरी की धारा भी लगा सकता हूँ। तुमने मेरे साथ कोपरेट नही किया। जब हमने कहा कि हम गरीब आदमी है हम 40,000/- रुपये नही दे सकते और यह फिर आधी यानि 20,000/- रुपये की रिश्त पर आ गया और हमने कहा कि हम आपको 5000/5000/- रुपये कि राशी कर दे देंगे। इस सम्बन्ध मे हमने सलिन्द्र ए०एस०आई० द्वारा रिश्त मांगने कि ओडियो रिकोर्डिंग भी की है जिसमे यह सरेआम रिश्त कि मांग कर रहा है ओडियो रिकोर्डिंग कि सी० डी० आवश्यक कार्यवाही हेतु साथ सलग्न है। मेरी आप जनाब से प्रार्थना है कि कुंजपुरा थाने सलिन्द्र ए०एस०आई० को आप खुले आम रिश्त के रुपये लेते हुये पकडने की कृप्या करे और इसके विरुद रिश्त मांगने वा रिश्त लेने के विरुद सख्त से सख्त कानूनी कार्यवाही करने कि कृप्या करे। यदि यह रिश्त लेते हुये पकडा जाता है तो यह मुझे व मेरे परिवार को जान से मरवा सकता है क्योकि अब शिकायत दर्ज करवाने के बाद मुझे वा मेरे परिवार को जान का खतरा बना है। यह आप जनाब को समय रहते अवगत करवा रहा हूँ। उपरोक्त शिकायत निरीक्षक सुल्तान सिंह को आवश्यक कार्यवाही हेतु मार्क की गई। जिन्होने अपनी तस्दीक रिपोर्ट दिनांक 22/10/2018 अनुसार लिखा की इस मामले मे चालान दिनांक 15/10/2018 को न्यायालय मे दिया जा चुका है और रिकार्ड अनुसार दिनांक 08/10/2018 को ए०एस०आई० सलिन्द्र द्वारा शिकायत कर्ता शेर सिंह से 15,000/- रुपये कि रिश्त मांगी गई है। दिनांक 23/10/2018 को तस्दीक रिपोर्ट व शिकायत आगामी आदेशार्थ मुख्यालय रा०चौ०ब्यू० पंचकुला भेजी गई। उपरोक्त दरखास्त वा ओडियो रिकोर्डिंग के मजबुन से रिश्त की मांग करके ए०एस०आई० सलिन्द्र कुमार थाना कुंजपुरा जिला करनाल ने सरेदस्त सुरत जुर्म जेर धारा 7 भ्रष्टाचार अधिनियम 1988 का किया है तहरीर हजा बराये कायमी मुकदमा जेर धारा 7 भ्रष्टाचार अधिनियम 1988 आपकी सेवा मे दी जा रही है। बाद कायमी मुकदमा नम्बर पर्चा से सुचित किया जाये तथा मुकदमा की तफतीश के लिये तफतीशी अधिकारी नियुक्त किया जाये मुकदमा की स्पैशल रिपोर्ट ईलाका मैजिस्ट्रेट व अफसरान बाला के ई-मेल के माध्यम से सुचित किया जाये Sd Dharamvir (निरीक्षक धर्मवीर सिंह) थाना राज्य चौकसी ब्यूरो, करनाल मण्डल, करनाल दिनांक 18/02/2019 At 02:30 Pm अज थाना :- हस्ब आमदा तहरीर पर मु० नं० 06 दिनांक 19-02-2019 जेर धारा 7 PC ACT थाना राज्य चौकसी ब्यूरो करनाल मण्डल, करनाल दर्ज रजिस्टर किया जाकर FIR की कम्प्यूटरकृत प्रतिया तैयार करके अफसरान बाला व ईलाका मैजिस्ट्रेट साहब को बजरियां E-Mail द्वारा सूचना दी गई। नकल मिशल पुलिस मय असल तहरीर रखी गई जो बाद आदेश अफसरान बाला के आगामी तफतीश अमल मे लाई जायेगी। उपरोक्त मुकदमा प्रबन्धक अफसर थाना के कोड से निरीक्षक धर्मवीर सिंह नं० RR/166 की हाजिरी में दर्ज रजिस्टर किया गया है।

13. Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है.):

- (1) Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया): / or (या)
- (2) Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम): Rank (पद): I (Inspector)
Dharamvir
No. (सं.): DSP to take up the Investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया)
or (या)
- (3) Refused investigation due to (जांच के लिए): or (के कारण इंकार किया या)
- (4) Transferred to P.S. (थाना): District (ज़िला):
on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित).

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant / informant, free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी)

R.O.A.C.
(आर.ओ.ए.सी.)

Signature of Officer in charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

14. Signature / Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान)

Name (नाम): Raj singh

Rank (पद): Dy. SP (Deputy Superintendant of Police)

No. (सं.): dsp

15. Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Error: Subreport could not be shown.

